15/4/26

पत्रावली [illegible] रिपो. पेश हुई उक्त [illegible] प्रा.पत्र प्रार्थीगण [illegible] पाया गया कि विस्तृत रिपो. अनुसार [illegible] गया [illegible] हो

रिपो. [illegible]

GCMS 2021/186

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 170/21 GCMS-2021/186 दायर दिनांकः–03–11–2021

1– कुलदीप कौर पत्नी श्री ज्ञान सिंह
2– जसवीर कौर पत्नी श्री औकार सिंह
3– रणजीतकौर पत्नी श्री कौरसिंह
4– सुखवीर कौर पत्नी श्री सतनामसिंह

अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

———————प्रार्थीगण

बनाम

1– धनराज पुत्र श्री भजनलाल
2– रामकुमार पुत्र श्री रामरख
3–रामसिह पुत्र श्री रामरख
4– सुरेन्द्र पुत्र श्री भजनलाल

अकवाम बिश्नोई साकिनान 19 एल जी डब्ल्यू ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–शाखा प्रबन्धक ,एसबीबीजे वर्तमान एस बी आई शाखा गुरूसर मोडिया
6–शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा
7– राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

——————अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थीगण
2– श्री जसवीर सिंह बराड़ अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 ता 4
3– पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 7

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 15.04.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , अप्रार्थी न0 1 ता 4 के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से भूमि वाके चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता सं0 14/15 के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 11 ता 20/2.530 है0 , 21/1 में 0.228 है0 , 22 ता 25/1.012 है0 कुल 3.770 है0 नहरी खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता सं0 51/68 के प0 न0 19/288 मु0 न0 43 के किला न0 20/1 में 0.228 है0 नहरी , 20/2 में 0.025 है0 खाला , 21/1 में 0.228 है0 नहरी , 21/2 में 0.025 है0 खाला , 22 ता 24/0.759 है0 नहरी = 1.265 है0 नहरी मय खाला , प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 1/1 में 0.177 है0 नहरी, 1/2 में 0.051 है0 गै0मु0 रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला , 2/1 में 0.177 है0 नहरी, 2/2 में 0.051 है0 गै0मु0 रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला , 3/1 में 0.177 है0 नहरी, 3/2 में 0.051 है0 गै0मु0 रास्ता, 3/3 में 0.025 है0 खाला , 4/1 में 0.177 है0 नहरी, 4/2 में 0.051 है0 गै0मु0 रास्ता, 4/3 में 0.025 है0 खाला , 5/1 में 0.177 है0 नहरी, 5/2 में 0.051 है0 गै0मु0 रास्ता, 5/3 में 0.025 है0 खाला , 6 ता 10/1.265 है0 नहरी = 2.530 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता , खाला (2.150 है0 नहरी , 0.175 है0 खाला व 0.225 है0 गै0मु0 रास्ता) कुल 3.795 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला (... है0 नहरी , 0.175 है0 खाला व 0.225 है0 गै0मु0 रास्ता) खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार ... है। ... प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 में चल रहे गै0मु0 रास्ता जो ढाबा से पीलीबंगा जाने के लिए डामर रोड़ बनी है से होकर प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5–6 के पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण में आवागमन लगभग 15 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5–6 के पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण में वर्तमान में चल रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी न0 1 ता 4 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है । उक्त रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी न0 1 ता 4 की भूमि वाके चक 13 एल के एस के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5-6 के पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण में 1-1 बिस्वा प्रत्येक में पश्चिम से पूर्व में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान का तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68-70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू-अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 4 जरिये अभिभाषक जसवीर सिंह बराड़ उपस्थित हुये । अप्रार्थी सं0 5 व 6 बावजूद समन तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी न0 1 ता 4 के द्वारा मौका रिपोर्ट आने के पश्चात प्रार्थना-पत्र. प्रस्तुत कर चक 13 एल के एस एवं 19 एल जी डब्ल्यू ए के रकबा की पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतू प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर पुनः रिपोर्ट हेतू आदेश पारित किया गया । जिस पर तहसीलदार सूरतगढ के पत्रांक 1754 दिनांक 02-01-2026 को रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नही है । अप्रार्थी न0 1 ता 4 की भूमि चक 13 एल के एस के प0न0 19/289 मु0न0 44 के किला न0 5-6 में पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ कभी भी प्रार्थीगण ने रास्ता का उपयो नही किया हे व ना ही उक्त रकबा से प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया गया है । प्रार्थीगण के चिपता रकबा चक 13 एल के एस के प0न0 20/289 के किला न0 23-24-25 व प0न0 20/290 के किला न0 1 ता 22 का रकबा पड़ता है जो प्रार्थीगण के पतियों के नाम से है । प्रार्थीगण उक्त रकबे के प0न0 20/289 के किला न0 25 से अपने रकबा में आते जाते है। इस वजर से प्रार्थीगण को रासते की कोइ भी परेशानी नही है । इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि प0न0 19/289 के किला न0 5 -6 में रास्ता स्वीकार न कर प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का निवेदन किया ।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 ता 4 के अभिभाषक एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से भूमि वाके चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता सं0 14/15 के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 की कुल 3.770 है0 नहरी खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम से भूमि वाके चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता सं0 51/68 के प0 न0 19/288 मु0 न0 43 की 1.265 है0 नहरी मय खाला , पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 की 2.530 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता , खाला कुल 3.795 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 में चल रहे गै0मु0 रास्ता जो ढाबा से पीलीबंगा जाने के लिए डामर रोड़ बनी है से होकर प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5-6 के पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण में आवागमन लगभग 15 वर्षो से किया जा रहा है । चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5-6 के पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी न0 1 ता 4 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है । उक्त रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। तथा प्रार्थीगण के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही लगता है । जिसकी पुष्टि श्रीमान न्यायालय द्वारा मंगवाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 18:00:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रिपोर्ट से पूर्णरूप से साबित होती है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी न0 1 ता 4 की भूमि वाके चक 13 एल के एस के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5—6 के पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण में 1—1 बिस्वा प्रत्येक में पश्चिम से पूर्व में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नही है । अप्रार्थी न0 1 ता 4 की भूमि चक 13 एल के एस के प0न0 19/289 मु0न0 44 के किला न0 5—6 में पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ कभी भी प्रार्थीगण ने रास्ता का उपयो नही किया हे व ना ही उक्त रकबा से प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया गया है । प्रार्थीगण के चिपता रकबा चक 13 एल के एस के प0न0 20/289 के किला न0 23—24—25 व प0न0 20/290 के किला न0 1 ता 22 का रकबा पड़ता है जो प्रार्थीगण के पतिगण के नाम से है । प्रार्थीगण उक्त रकबे के प0न0 20/289 के किला न0 25 से अपने रकबा में आते जाते है। इस वजर से प्रार्थीगण को रास्ते की कोई भी परेशानी नही है । इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि प0न0 19/289 के किला न0 5—6 में रास्ता स्वीकार न कर प्रार्थना—पत्र निरस्त करने का निवेदन किया ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तथा पुनः तहसीलदार सूरतगढ के पत्रांक 1754 दिनांक 02—01—2026 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह पूर्ण रूप से साबित हो जाता है कि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि वाके चक चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के खाता सं0 14/15 के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 की कुल 3.770 है0 नहरी खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है । प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए वाके चक 13 एल के एस तहसील सूरतगढ के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 में चल रहे गै0मु0 रास्ता जो ढाबा से पीलीबंगा जाने के लिए डामर रोड़ बनी है से होकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि वाके चक 13 एल के एस के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5/0.009 है0 पूर्वी पासा उत्तर से दक्षिण, 6/0.013 है0 पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण मे रास्ता से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का एक मात्र माध्यम है । पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है । प्रार्थीगण के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है तथा प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 ता 4 की खातेदारी भूमि में रास्ता की भूमि के एवज में अपनी भूमि दी जा रही है । इन तमाम तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये चक 13 एल के एस के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5/0.009 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण, 6 /0.013 है0 पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण मे चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम खातेदार भूमि चक 13 एल के एस के प0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 5/0.011 है0 (पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण) , 6/0.015 है0 (पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण) कुल 0.026 है0 भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 13 एल के एस के पं0 न0 19/289 मु0 न0 44 के किला न0 14 में 0.014 है0 (उतर पासा) ,15 में 0.012 है0 (उतर पासा उतरी—पूर्वी कोना पर 10फुट गुणा 10 फुट छोड़ते हुये) कुल 0.026 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से कलमजन कर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.04.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.16 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(भरत जयप्रकाश मीना)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)